राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

जगदीश चोपड़ा

30 अगस्त 2007

(एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.)

सेवा कानूनः

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971- नियम 9 (3) के तहत भर्ती- उम्मीदवार ने शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया और क्रम संख्या 10 पर उक्त वर्ष के लिए रखा गया तथा किसी विशेष वर्ष के लिए चयन सूची में क्रम संख्या 8 पर उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ - रिक्त पद को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है- पिछले वर्ष की चयन सूची में क्रम संख्या 10 पर उम्मीदवार ने आवेदन किया था लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। खंड पीठ द्वारा अपास्त किया गया - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एकल न्यायाधीश का यह कहना सही था कि उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है- हालांकि एसएलपी के लंबित रहने के दौरान राज्य ने उम्मीदवार की नियुक्ति उसकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि डिवीजन बेंच

के आदेशों के कारण की गई- इस प्रकार, अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग करते हुए और मामले के लंबितता, नियुक्ति जारी रखी जाएगी- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 142।

राजस्थान राज्य में, शिक्षकों को वार्षिक आधार पर नियुक्त किया जाता था और प्रत्येक वर्ष के लिए रिक्तियों को अलग से निर्धारित किया जाता था। 1995-96 में रिक्तियां निकली थी और 19 पदों को शिक्षकों (शारीरिक शिक्षाद्ध द्वारा भरा जाना था। प्रत्यर्थी ने पद के लिए आवेदन किया और उसका नाम तैयार की गई चयन सूची के क्रम सं. 10 में था। योग्यता सूची में उम्मीदवार क्रम संख्या 8 सम्मिलित नहीं हुआ और उक्त खाली पद को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया।प्रत्यर्थी ने आवेदन किया। उक्त वर्ष में एक ही पद के लिए आवेदन किया तथा उसें नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें योग्यता सूची में क्रम सं. 23 पर रखा गया था। पीड़ित, प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रत्यर्थी को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि योग्यता सूची की वैधता समाप्त हो गई थी। डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को यह कहते हुए तय किए बिना रद्द किए चयन सूची वैध रही है या नहीं। इसलिए वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 राजस्थान राज्य में शिक्षकों की भर्ती वैधानिक नियमों में द्वारा शासित। इसलिए, सभी भतियों को उसके संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। हालांकि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 9(3) में विशेष रूप से उस अवधि के लिए प्रावधान नहीं है जिसके लिए योग्यता सूची वैध रहेगी, लेकिन विधायिका पूरी तरह से स्पष्ट है कि रिक्तियों को केवल एक बार निर्धारित किया जाना है। बाद के वर्षों में रिक्तियों को पिछले वर्ष में तैयार की गई चयन सूची से भरा जा सकता था, न कि अन्य तरीके से। अन्य, किसी भी नियम के अभाव में, चयन सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह अभिनिर्णय सही था कि प्रत्यर्थी को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। (पैरा 7 और 8 603-डी, ईय 604-ए)

शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 2 एससीआर 567 और आशा कौल (श्रीमती) और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (1993) 2 एस. सी. सी. 577 पर भरोसा किया।

बिहार राज्य और अन्य बनाम अमरेंद्र कुमार मिश्रा, (2006) 9 स्केल 549, के. जयमोहन बनाम केरल और अन्य राज्य (1997) 5 एस. सी. सी. 170, मुन्ना राय बनाम भारत संघ और अन्य, (2000) 9 एस. सी. सी. 283, अखिल भारतीय एस. सी. और एस. टी. कर्मचारी संघ और ए.एन.आर. वी. ए. आर्थर जीन और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी, 380,

भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम भानु लोध और अन्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 618 और पिट्टा नवीन कुमार और अन्य बनाम राजा नरसैया जांगिति और अन्य, (2006) 10 SCC 261 संदर्भित।

1.2 डिवीजन बेंच के द्वारा अनुदान का निर्देश देनां बिल्कुल भी उचित नहीं था। प्रत्यर्थी को उस तारीख से सेवा लाभ, जिस दिन योग्यता सूची में क्रम संख्या 9 पर नियुक्त उम्मीदवार को पद में शामिल होना चाहिए था। इस तरह का निर्देश पूरी तरह से अनुचित है। हालांकि, आपेक्षित निर्णय को इस तथ्य के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है कि राज्य ने प्रत्यर्थी को चयन सूची में उसकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण नियुक्त किया है। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी गई है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला लंबे समय से लंबित है, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी को सेवा में जारी रखा जा सकता है जैसे कि वह सेवा में शामिल होने की तारीख से नियुक्त किया गया हो। (पैरा 11, (605-जीय 606-ए-सी)

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय सिविल अपील सं. 3987/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर के D.B. विशेष अपील रिट संख्या 1462/1997 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.2005 से।

अरूणेश्वर गुप्ता, एडवोकेट जनरल, नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, शास्वत गुप्ता और आदर्श सभरवाल, अपीलार्थियों के लिए।

प्रत्यर्थी के लिए ऐश्वर्या भाटी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी- राज्य वार्षिक आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करता है। प्रत्येक के लिए रिक्तियां अगले वर्ष से निर्धारित की जाती हैं। शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में किया जाता है-

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 (अधिनियम) यह एक वर्ष के लिए वैध रहता है जो अप्रेल के पहले दिन से 31 मार्च तक होता है। उक्त नियमों के नियम 9(3) को इस प्रकार पढ़ा जाता है-

> "नियम 9 (3) क्या रिक्तियों का निर्धारण एक से अधिक बार किया जा सकता है। एक वर्ष रिक्तियों का निर्धारण वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा। रिक्तियां आ रही हैं

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद अगले वर्ष की रिक्तियों के रूप में माना जाएगा कि भिन्नता रिक्तियां जो अधिग्रहण की तारीख के बीच हो सकती हैं विभाग पदोन्नति समिति और विभागीय तिथि पदोन्नति समिति की हुई बैठक को ध्यान में रखा जाएगा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ।"

3. वर्ष 1995-96 के लिए 33 रिक्तियां और विज्ञापन जारी किया गया था। यहां प्रत्यर्थी उक्त पद के लिए आवेदकों में से एक था। चयन समिति ने एक चयन सूची तैयार की। प्रत्यर्थी का नाम उक्त सूची के क्रम सं. 10 पर अंकित है। 33 रिक्तियों में से 19 पदों पर शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) और 14 पदों को शिक्षक (ग्रेड -III) के लिए भरा जाना था। शिक्षकों के 19 पदों में से (शारीरिक शिक्षा), 9 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थे (5 पद ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे (2 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और एक पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से उत्पन्न रिक्तियों पर पद भरा जाना था। कार्य ग्रहण की तारीख 12.04.1996 तय की गई थी। अभ्यर्थी क्रं. सं. 8 पर योग्यता सूची पर था उसने कार्यग्रहण नहीं किया। खाली पद को वर्ष 1996-97 को आगे जोड़ा। प्रत्यर्थी ने शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) के लिए भी आवेदन किया था। लेकिन उन्हें योग्यता सूची

में क्रंम सं. 23 पर रखा गया था और इस प्रकार, 1996-97 में भी नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

उसने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। उक्त आधार पर यह कहते हुए कि योग्यता सूची की वैधता समाप्त हो गई थी, उक्त उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि उन्हें नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

> "चूंकि प्रत्यर्थी हर साल एक नया पैनल तैयार करता है और यह बना रहेगा। उस सत्र के अंत से पहले प्रभावी, यानी मार्च तक लागू होगा। अतः इसके बाद पैनल की अवधि की समाप्ति, उस पैनल में शामिल उम्मीदवार, नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। वर्तमान मामलें में भी, पैनल की अवधि समाप्त हो गई है और नियुक्तियां पहले से ही उसी के अनुसार बनायी जा चुकी है।"

4. इसके खिलाफ एक अंतर अपील को फिर से प्राथमिकता दी गई। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच हालांकि, ने बिना किसी आधार के उक्त निर्णय को उलट दिया। यह प्रश्न कि क्या चयन सूची वैध रही है या नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि, "मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बचाव पक्ष ने माना कि 31 मार्च,

1996 तक कोई पद विभाग में रिक्त स्वीकार करना मुश्किल है। याचिकाकर्ता ने सबकुछ किया नियुक्ति के लिए विचार किया गया कि वह आधार जिस पर रिट खारिज की गई याचिका मान्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार होती है और उसी की अनुमति है। सिंगल न्यायाधीश का दिनांकित 1.9.1997 आदेश एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 4599/1996, इस अपील में आक्षेपित आदेश रद्द कर खारिज किया जाता है। रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और घोषित किया जाता है कि नियुक्त उम्मीदवार योग्यता सूची के क्रं. सं. 8 पर खड़ा था। प्रत्यर्क्षीगण को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता एक महीने की अवधि के भीतर शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नियुक्ति की तारीख जिस समय पर उम्मीदवार योग्यता सूची के क्रम सं. 9 पर खड़ा था, उस पद में शामिल होगा।

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी वास्तिवक मौद्रिक अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। हालांकि, सेवा में शामिल हुए हैं, और उनके वास्तविक शामिल होने की तारीख, इस अवधि को अन्य सेवा और पुनः परीक्षण लाभों के लिए गिना जाएगा।

5. इस प्रकार, राज्य के द्वारा अपील प्रस्तुत की। श्री अरूणेश्वर गुप्ता, अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि

प्रत्यर्थी को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब योग्यता सूची की वैधता केवल एक वर्ष के लिए सीमित है।

6. श्री ऐश्वर्या भाटी, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने आग्रह किया कि चूंकि उम्मीदवारों को 12.04.1996 पर अपने पदों में शामिल होना था, इसलिए राज्य ने स्वयं उस अवधि की पालन नहीं की जिसके लिए रिक्तियों को भरने की आवश्यकता थी।विद्वान वकील के अनुसार प्रत्यर्थी पहले ही अपनी सेवाओं में शामिल हो चुका है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 9 (3) की अवधि निर्धारित नहीं करता है। पैनल की वैधता और मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी, जो प्रतिक्षा सूची में था, को नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि चयनित उम्मीदवार में से एक ने कार्यग्रहण नहीं किया।

7. राजस्थान राज्य में शिक्षकों की भर्ती एक स्वीकृति है तथा वैधानिक नियमों द्वारा शासित है। इसलिए, सभी भर्तियां उसके संदर्भ में की जानी आवश्यक है। हालांकि नियमों के नियम 9(3) में विशेष रूप से उस अवधि के लिए प्रावधान नहीं है जिसके लिए योग्यता सूची वैध रहेगी,लेकिन विधायिका का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि रिक्तियों को वर्ष में केवल एक बार निर्धारित किया जाना है। बाद के वर्षोें में रिक्तियों को पिछले वर्ष में तैयार की गई चयन सूची से भरा जा सकता था, न कि अन्य तरीके से। अन्यथा, किसी भी नियम के अभाव में, चयन

सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। बिहार और अन्य राज्यों बनाम वी. अमरेंद्र कुमार मिश्रा, (2006) 9 स्केल 549, इस न्यायालय ने राय दीः

> "उपरोक्त स्थिति में, हमारी राय में, उसे नियुक्त करने का कानून अधिकार नहीं था और पैनल की लाइफ 1 साल तक होती है। एक बार जब यह अवधि समाप्त हो जाता है, जब तक कि कोई उचित आदेश राज्य द्वारा जारी नहीं किया जाता है कोई नियुक्ति उक्त पैनल द्वारा नहीं की जा सकती है।
>
> यह आगे अभिनिर्धारित किया गया थाः- " इससे पहले जो निर्णय लिया गया था कि प्रतिक्षा सूची पर भी शर्ताेंं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए तथा विज्ञापन और किसी भी स्थिति में आयोजन निर्धारित अवधि से अधिक क्रियाशील नही रह सकती है।"

8. इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही अभिनिर्धारित किया कि दूसरे प्रत्यर्थी को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि चयनित उम्मीदवार को ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है।

(1991) 2 एस. सी. आर. 567, आशा कौल (श्रीमती) और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य, (1993) 2 ए एससीसी 577, के. जयामोहन बनाम केरल और अन्य राज्य, (1997) 5 एस. सी. सी. 170, इस अदालत ने निर्णय दियाः

> " 5. यह कानूनी स्थिति है कि केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार का चयन किया जाता है और प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है, वह नियुक्ति को कोई पूर्ण अधिकार प्राप्त नहंी करता है। यह सरकार के लिए खुला है कि वह नियुक्ति करे या न करे। भले ही कोई पद रिक्त हो, उसे भरने का सरकार का दायित्व नहीं है। लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी को गैर-नियुक्ति के लिए उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसी तरह, लोक सेवा आयोग/भर्ती एजेंसी प्रतीक्षा सूची केवल प्रत्याशित रिक्तियों की सीमा तक सूचीबद्ध करेगा। उपरोक्त तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।"

(मुन्ना रॉय बनाम भारत संघ और अन्य को भी देखे। (2000) 9 एस. सी. सी. 283, अखिल भारतीय एससी और एसटी कर्मचारी संघ और ए. आर्थर जीन व अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 380 में यह राय दी गईः-

“10. केवल इसलिए कि उम्मीदवारों के नाम पैनल में उनके अस्थायी चयन का संकेत देते हुए शामिल किए गए थे, उन्होंने मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ भी नियुक्ति के लिए कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं किया और शंकरसन दास बनाम भारत संघ में पहले के मामलों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया कि सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए राज्य का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है।

7. उक्त पैरा. में निर्णय इस प्रकार हैः-

“ यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवार नियुक्त होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करते हैं जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक कि संबंधित भर्ती नियम ऐसा इंगित नहीं करते हैं, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने

के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त हो तथा रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय ईमानदारी से लेना होगा तथा रिक्तियो को उचित कारणों से वास्तविक रूप में लिया जाना चाहिए और अगर रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, राज्य की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है। जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और कोई भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सही स्थिति का लगातार पालन किया जाना चाहिए।"

इस न्यायालय व अन्य निर्णयों में हमें कोई असंगत आधार होना नहीं पाया गया। हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य या जतेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य में हमें कोई असंगत आधार नहीं मिला।

9. उपरोक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांत हैं भारतीय खाद्य निगम और अन्य मामलों बनाम वी. भानु लोध व अन्य।, (2005) 3 एस. सी. सी. 618 अभिनिर्धारित किया गयाः-

" 14. केवल इसलिए कि रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है, राज्य सरकार बाध्य नहीं है कि सभी रिक्तियां भरी

जाए जबतक कि कुछ प्रावधान नियमो के विपरीत न हो। लेकिन रिक्तियों को भरने का निर्णय प्रामाणिक व तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 की पालना हो सके। पुनः अगर रिक्तियां प्रस्तावित की जाती है तो राज्य उसे चिन्हित अभ्यर्थी की मेरिट सूची के आधार पर करेगा। जब तक कि रिक्त पदों को भरा जाता है या नहीं ये एक नीतिगत निर्णय है और जब तक कि ये नियुक्तियां मनमानी रूप से नहीं हो तो न्यायिक समीक्षा के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

10. पिट्टा नवीन कुमार व अन्य बनाम राजा नरसैया जांगिती व अन्य (2006, 10 एस. सी. सी. 261, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

"इस ओर से प्राप्त कानूनी स्थिति विवादित नहीं है। एक उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वह केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। उम्मीदवार हालांकि आम तौर पर पात्रता के संदर्भ पर विचार किया जाना है तथा मौजूदा नियम को सख्तता से पालना की जानी है

ताकि नियम केवल मात्र उम्मीदवारों को नुकसान करने के लिए कारित नहीं हो।"

11. इसके अलावा, डिवीजन बंेच का निर्देश देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। प्रत्यर्थी को उस तारीख से सेवा लाभ दिया जाये जिस दिन योग्यता सूची के क्रम सं. 9 पर उम्मीदवार को रखा गया है। हमारी राय में इस तरह का निर्देश पूरी तरह से अनुचित है। हालांकि, हम औचित्य निर्णय को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि तथ्य यह है कि राज्य ने इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी को नियुक्त किया है। हमे यह भी देखना हैं कि अवमानना याचिका में आगे की कार्यवाही पर रोक भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2007 के आदेश द्वारा पारित की गई है। इसलिए, हमारी राय है कि इस न्यायालय के लिए अब इस समय पर उक्त नियुक्ति को रद्द करना उचित नहीं होगा क्योंकि राज्य द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में दी गई नियुक्ति चयन सूची में उसकी योग्यता के कारण नहीं थी, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण थी। हम, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला लंबे समय से लंबित है, हमारी यह राय है कि एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति की नियुक्ति को जारी रखने का निर्देश

दिया जा सकता है जैसे कि वह उस तारीख से नियुक्त किया गया था जिस दिन से वह सेवा में शामिल हुआ था।

12. अपील की अनुमति उपर्युक्त सीमा तक दी जाती है। पक्षकारां खर्च अपना अपना वहन करेंगे। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयमाला पाणिगर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।